न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, जमुई
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–323 / 2026
(झाझा संख्या संख्या 632 / 2023 से उत्पन्न)

उपस्थित – कमला प्रसाद,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

अभय कुमार सिंह एवं अन्य बनाम राज्य सरकार

आदेश

28.04.2026

1– प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक **1. अभय कुमार** पे0 धर्मवीर मंडल उम्र 20 वर्ष **2. सुरेन्द्र मंडल** पे0 सुखदेव मंडल उम्र 33 वर्ष, **3. अजय मंडल** पे0 नारायण मंडल उम्र 40 वर्ष **4. सिन्टू कुमार** पे0 जानकी मंडल उम्र 30 वर्ष **5. धर्मवीर मंडल** पे0 नारायण मंडल उम्र 35 वर्ष **6. पंकज मंडल** उम्र 27 वर्ष पे0 कैलाश मंडल **7. अवधेश मंडल** पे0 कैलाश मंडल उम्र 30 वर्ष सभी साकिनान रानीकुरा, थाना झाझा, जिला जमुई द्वारा झाझा संख्या संख्या 632 / 2023 में 448, 341, 323, 308, 379, 354(क), 504, 427, 34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत गिरफ्तारी की आशंका को लेकर दाखिल किया गया है। उक्त अग्रिम जमानत आवेदन पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार सिन्हा तथा अभियोजन पक्ष के विद्वान अधिवक्ता श्री शक्तिलाल शर्मा को सुना गया।

2– अभियोजन का कथानक संक्षेप में यह है कि सूचक दिनांक 27.12.2023 को अपने घर पर थे कि सूचक के गांव के धर्मवीर मंडल पे0 नारायण मंडल, अभय कुमार पे0 धर्मवीर मंडल, अजय मंडल, पे0 नारायण मंडल, सेंटू कुमार पे0 जानकी मंडल ये सभी व्यक्ति शराब के नशे में आया और गाली गलौज करने लगा। सूचक गाली देने से मना किया तो लाठी डंडा से मारपीट करने लगा जिससे मुंह में काफी चोट लगा तथा खून बहने लगा एवं सूचक हल्ला किये तो सूचक के हल्ला करने पर सूचक का लड़का रंजीत कुमार एवं सुभाष मंडल बचाने आया तो ये लोगों के साथ भी मारपीट किया तथा सूचक की पुतोहू एवं पोती राखी कुमारी बचाने आयी तो इन लोगों के साथ भी मारपीट किया तथा धर्मवीर मंडल ने सूचक के पुतोहू को गलत नियत से कपड़ा खीचने लगा तथा अभय कुमार ने सूचक की पुतोहू के गले से सोना का चेन छीन लिया। सुरेन्द्र मंडल पे0 सुगदेव मंउल, अवधेश मंडल, पंकज मंडल दोनों पे0 कैलाश मंडल ये लोग भी आया तो नीरज कुमार को भी लाठी डंडा रॉड ईंट पत्थर से प्रहार किया जिससे सूचक का घर का करकट एवं खरपैल चूर चूर हो गया। हल्ला पर ग्रामीण लोग दौड़कर आये तो उक्त सभी ग्रामीणों को देखकर मारपीट करना छोड़कर उक्त सभी व्यक्ति भाग गये।

3– आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता जमानत आवेदन को परिचालित कर निवेदन करते हैं कि आवेदकगण गिरफ्तारी की आशंका को लेकर अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किये हैं। आवेदकगण द्वारा वर्तमानत जमानत आवेदन को छोड़कर इससे पूर्व सत्र न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में कोई अन्य जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। आवेदकगण को 35(5) बी0एन0एस0एस0 का लाभ नहीं दिया गया है। आवेदकगण का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण बिल्कुल निर्दोष हैं इन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है। यह कि आवेदक को गांव की गंदी राजनीति के कारण इस वाद में झूठा एवं गलत तरीके से फंसाया गया है। आवेदकगण बिल्कुल निर्दोष हैं इन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है। यह कि मामले को गैर जमानती बनाने के लिए आवेदकगण के विरूद्ध धारा 308 आई0पी0सी0 जोड़ा गया है। यह कि इस सम्बन्ध में दोनों पक्षों के बीच पहले समझौता हो चुका है इस आवेदन के साथ समझौता आवेदन की एक अलग प्रति भी दाखिल की गई है। यह कि दोनों पक्ष एक ही परिवार के आपस में गोतिया हैं तथा दोनों पक्षों के बीच भूमि विवाद पहले से चला आ रहा है। आवेदकगण धारा 482 बी0एन0एस0एस0 के सभी नियमों एवं शर्तों का पालन करने के लिए तैयार हैं। अतः आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते हैं।

4– अपर लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करते हैं।

5– उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया, जिससे विदित होता है कि आवेदकगण प्राथमिकी में नामजद अभियुक्त हैं तथा प्राथमिकी धारा 448, 341, 323, 308, 379, 354(क), 504, 427, 34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत पंजीकृत हैं। प्राथमिकी के अनुसार आरोप यह है कि प्राथमिकी में नामित सभी अभियुक्तगण शराब के नशे में आए और गाली गलौज करने लगे, सूचक गाली देने से मना किया तो लाठी डंडा से मारपीट करने लगे जिससे काफी चोट लगा और खून बहने लगा। जब सूचक हल्ला किया तो सूचक का लड़का राजेश बचाने आया तब मुदालह लोग उसके साथ मारपीट किये तथा सूचक की पुतोहू एवं पोती राखी कुमारी बचाने आई तो ये लोग उसके साथ भी मारपीट किया तथा धर्मवीर मंडल ने सूचक की पुतोहू को गलत नियत से पकड़कर खींचने लगा तथा अभय कुमार ने सूचक की पुतोहू के गले से सोने का चेन छीन लिया। सुरेन्द्र मंडल, अवधेश मंडल, पंकज मंडल ये लोग आया तो नीरज कुमार को लाठी डंडा रॉड एवं पत्थर से प्रहार किया इससे सूचक के घर का करकट एवं खपरैल चूर चूर हो गया। इस वाद में पुलिस द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या 599 / 2023 दिनांक 31.12.2023 को धारा 448, 341, 323, 308, 504, 427 सपठित धारा 34 भा0द0वि

लगातार.....

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, जमुई
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–323 / 2026
(झाझा संख्या संख्या 632 / 2023 से उत्पन्न)

उपस्थित – कमला प्रसाद,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

अभय कुमार सिंह एवं अन्य बनाम राज्य सरकार

28.04.2026 के अन्तर्गत समर्पित किया है तथा पुलिस द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर लिया गया है तथा दिनांक 06.02.2025 को आवेदकगण के विरूद्ध धारा 448, 341, 323, 308, 504, 427 सपठित धारा 34 भा0द0वि0 के अर्न्तगत संज्ञान लिया गया है एवं अधीनस्थ न्यायालय में अभिलेख अभियुक्तगण की उपस्थिति हेतु लंबित है। जमानत आवेदन की सुनवाई के दौरान उभय पक्ष उपस्थित हुये तथा न्यायालय से निवेदन किये कि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया है समझौत के बाद दोनों पक्षों के बीच शांतिपूर्ण एवं सौहर्दपूर्ण सम्बन्ध स्थापित हो गया है। दोनों पक्ष एक ही परिवार के हैं तथा दोनों के बीच पुराना जमीनी विवाद चल रहा है। मुदई अब इस मुकदमा को आगे नहीं ले जाना चाहता है। संधिपत्र दिनांक 10.03.26 अभिलेख पर है जिस पर उभयपक्षों का हस्ताक्षर एवं फोटोग्राफ है तथा सम्बन्धित पक्षों के अधिवक्ता द्वारा अपने पक्षकारों के हस्ताक्षर को अभिप्रमाणित किया गया है। सूचक के तरफ से सुलह हेतु अनुमति के लिए एक अनुमति आवेदन दिनांक 10.03.2026 को दाखिल किया गया है जो अभिलेख पर है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वाद दैनिकी के साथ इस न्यायालय के समक्ष है जिसमें सभी आवेदकगण को पुलिस द्वारा धारा 41(1) द0प्र0स0 की नोटिस देकर व्यक्तिगत बंधपत्र छोड़ा गया है। उपरोक्त विवेचन तथा इस वाद के तथ्य एवं परिस्थितियों में एवं दोनों पक्षों के बीच हुये संधि के आलोक में आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त करना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः इस आदेश की तिथि से 30 दिन के अन्दर इस वाद में आवेदकगण को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने पर अथवा आवेदकगण द्वारा स्वयं न्यायालय में आत्मसमर्पण करने पर तथा प्रत्येक आवेदकगण द्वारा 10,000 / –रू0 के दो जमानतदार समान प्रतिभूओं सहित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार न्यायालय में प्रस्तुत करने पर तथा धारा 482 बी0एन0एस0एस के शर्तों का पालन करने पर आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय, जमुई

मेमो. नं0.....दिनांक.....
प्रति अग्रसारित न्यायालय– श्री, अनिमेश रंजन / सुश्री कंचन रानी, विद्वान न्या0द0प्रथम् श्रेणी, जमुई

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय जमुई